

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्या: 06/2021

दायर दिनांक: 13.01.2021

निर्णय दिनांक 18.11.2024

—: अनवान :-

जसवन्तराज पिता कुन्दनमल जी महाजन उम्र 60 वर्ष निवासी भीम तहसील भीम
जिला राजसमन्द — निगराकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत भीम जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत भीम
2. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी नरेन्द्रसिंह निवासी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द
3. श्रीमती रेशमा आहुजा पत्नी हरिश आहुजा जाति सिन्धी निवासी सिन्धी मोहल्ला
भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द — गैर निगराकार

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 पट्टा
विलेख संख्या 95, पुस्तक संख्या 2 दिनांक 20.05.2019 जारी द्वारा ग्राम पंचायत
भीम से व्यथित होकर

उपस्थित:-

- 1- श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
- 2- श्री, अब्दुल हकीम चुडीघर अधिवक्ता अप्रार्थी/ संख्या 01
- 3- अप्रार्थी/संख्या 02 अनुपस्थित
- 4- श्री संपत लाल लड्ढा, अधिवक्ता अप्रार्थी/ 03

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने अन्तर्गत धारा
97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 पट्टा विलेख संख्या 95, पुस्तक संख्या
2 दिनांक 20.05.2019 जारी द्वारा ग्राम पंचायत भीम से व्यथित होकर निगरानी



२

याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भीम में स्थित आराजी नम्बर 3428/9990 रकबा 3 बीघा 5 विश्वा भूमि स्थित है, जिसमें से निगराकार 1 बीघा पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है जिसके चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है तथा एक कमरा बना होकर एक पानी का हौद भी बना हुआ है। निगराकार के विरुद्ध व उसके परिवारजन के विरुद्ध तहसीलदार भीम द्वारा धारा 91 की कार्यवाही की गई है तथा उसके पश्चात उक्त भूमि अवैध रूप से ग्राम पंचायत भीम को आबादी हेतु आवंटित कराने हेतु रिपोर्ट कर उपखण्ड अधिकारी भीम से अवैध रूप से आबादी के रूप में आवंटन करवायी गई है तथा उक्त भूमि आबादी होते ही इस पर अवैध रूप से पट्टे जारी किये गये हैं तथा सारे पट्टे नियम 157 के प्रावधानों के तहत जारी कर दिये गये हैं जो प्रारम्भ से ही अवैध व विधि विरुद्ध है। विपक्षी संख्या 01 द्वारा विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में पट्टा विलेख संख्या 95 दिनांक 20.05.2019 को जारी किया गया है जिसके पड़ौस निम्न प्रकार है -

पूर्व : नाप 40 फीट, पड़ौस - छगनीदेवी का प्लॉट
पश्चिम : नाप 40 फीट, पड़ौस - मोनी लखुजा
उत्तर : नाप 30 फीट, पड़ौस - आम रास्ता
दक्षिण : नाप 30 फीट, पड़ौस - आबादी भूमि

कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट

उक्त पट्टे का पंजीयन उप पंजीयक भीम के यहां पर दिनांक 20.08.2019 को करवाया गया है। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी याचिका इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, भीम द्वारा जारी पट्टा विधि के विपरीत है। ग्राम पंचायत भीम द्वारा उक्त पट्टा जारी करने में त्रुटि कारित की है। उक्त आराजी में ग्राम पंचायत भीम द्वारा निम्न व्यक्तियों को जारी किये गये पट्टों को निगराकार द्वारा चुनौती दी गई है जो एक ही आराजी में जारी किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

- (1) श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह रावत निवासी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द के पक्ष में पट्टा विलेख संख्या 33 दिनांक 04.10.2019 को कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया है।
- (2) श्रीमती जमनीदेवी पत्नी कालुसिंह रावत निवासी भीम तहसील भीम, जिला राजसमन्द के पक्ष में पट्टा विलेख संख्या 34 दिनांक 20.06.2019 को कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया है।



(Handwritten signature)

- (3) श्री उमरावसिंह पुत्र रामसिंह रावत निवासी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द के पक्ष में पट्टा विलेख संख्या 34 दिनांक 04.10.2019 को कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया है।
- (4) श्री शुभम डेटवानी पुत्र नरेन्द्र कुमार जाति सिन्धी निवासी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द के पक्ष में पट्टा विलेख संख्या 43 दिनांक 04.10.2019 को कुल क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया है।
- (5) श्री हरिसिंह पुत्र कालुसिंह रावत निवासी बरतु तहसील भीम जिला राजसमन्द के पक्ष में पट्टा विलेख संख्या 49 दिनांक 04.10.2019 को कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया है।
- (6) श्री श्रवणसिंह पुत्र ज्ञानसिंह रावत निवासी बरतु भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द के पक्ष में पट्टा विलेख संख्या 50 दिनांक 04.10.2019 को कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया है।
- (7) श्री उमरावसिंह पुत्र रामसिंह रावत निवासी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द के पक्ष में पट्टा विलेख संख्या 76 दिनांक 27.08.2019 को कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया है।
- (8) श्रीमती संगीता देवी पत्नी देवीसिंह रावत निवासी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द के पक्ष में पट्टा विलेख संख्या 82 दिनांक 05.07.2019 को कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया है।
- (9) श्रीमती सीतादेवी पत्नी ज्ञानसिंह निवासी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द के पक्ष में पट्टा विलेख संख्या 93 दिनांक 20.05.2019 को कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया है।
- (10) श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी नरेन्द्रसिंह रावत निवासी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द के पक्ष में पट्टा विलेख संख्या 95 दिनांक 20.05.2019 को कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया है।

उक्त आराजी भूमि में उपरोक्त वर्णित पट्टों के अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा इसी आराजी में इन व्यक्तियों के अतिरिक्त करीब 30 व्यक्तियों के नाम पर भिन्न भिन्न पट्टे जारी किये गये हैं इन व्यक्तियों के पक्ष में ग्राम पंचायत भीम द्वारा नियमों के विपरीत उक्त पट्टे जारी किये गये हैं जो विधि के विपरीत है। उक्त मामले में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के नियम 157 के तहत उक्त पट्टे जारी किये गये हैं जबकि उपरोक्त प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत को नियम 157 के तहत केवल उस भूमि में पट्टे जारी करने का अधिकार है जहां पर पहले से ही 25 वर्ष, 50 वर्ष पुराने मकान बने हुए हो, उस भूमि के पट्टे नियमितिकरण के जारी करने की अधिकारिता है लेकिन उक्त भूमि तो ग्राम पंचायत को 28.12.2017 को उपखण्ड



Q

अधिकारी द्वारा आवंटित की गई है तथा उक्त आदेश की पालना में दिनांक 20.05.2018 को स्वीकृत किया गया है और राजस्व रेकॉर्ड में उक्त भूमि दर्ज हुई है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर 25 वर्ष पुराना कब्जा होना किसी भी रूप में प्रमाणित नहीं है। उक्त भूमि पर निगराकार का कब्जा आधिपत्य होने से निगराकार के विरुद्ध तहसीलदार भीम द्वारा प्रकरण संख्या 410/2019 के जरिये धारा 91 की कार्यवाही भू राजस्व अधिनियम के तहत की गई है जिसकी अपील निगराकार द्वारा प्रस्तुत की जाकर आदेश को चुनौती दी गई है। उक्त आदेश से यह भी प्रमाणित है कि मौके पर विपक्षी संख्या 02 का मकान बना हुआ नहीं है केवल निगराकार का मकान ही बना हुआ है तथा कब्जा आधिपत्य भी निगराकार का ही है। ऐसी स्थिति में उक्त नियमों के तहत जारी किया गया पट्टा अवैध एवं विधि विरुद्ध रूप से जारी किया गया प्रमाणित है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत को धारा 102 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली सम्पत्ति जो आबादी विस्तार हेतु प्रदान की जाती है, उक्त सम्पत्ति को ग्राम पंचायत को नियम 157 के तहत पट्टे जारी करने की अधिकारिता नहीं है बल्कि ऐसी सम्पत्ति को तो ग्राम पंचायत को भूखण्ड बनाकर नियम 143 से लगायत 155 के तहत निलामी में विक्रय करने के प्रावधान है जिसकी पालना इस मामले में नहीं की गई। यदि उपरोक्त प्रावधानों के तहत भूखण्ड बनाकर निलाम किये जाते हैं तो ग्राम पंचायत को लाखों रूपयों की आय होती है क्योंकि उक्त पट्टशुदा भूमि की तत्कालीन डीएलसी दर 460 रूपये प्रति वर्गफीट हैं जबकि ग्राम पंचायत ने नियम 157 के तहत पट्टे जारी किये हैं जिसमें 0.25 रूपया अर्थात 25 पैसे प्रति वर्गफीट की दर से अर्थात नोमिनल चार्ज पर उक्त पट्टे जारी किये गये हैं जबकि उक्त भूखण्ड की निलामी होने पर डीएलसी दर से भी अधिक राशि ग्राम पंचायत को प्राप्त होती है। लेकिन उक्त मामले में इसकी पालना नहीं की गई है। यदि उक्त भूमि पर पुराना कब्जा आधिपत्य विपक्षी संख्या 02 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रमाणित कराया जाता तो भी ग्राम पंचायत को उक्त भूमि नियम 156 के प्रावधानों के तहत डीएलसी दर पर प्रदान करनी थी लेकिन उक्त मामले में इस प्रावधान की पालना भी नहीं की है। यदि डीएलसी दर पर भी पट्टे जारी किये जाते तो उक्त भूमि की तत्कालीन डीएलसी दर 460 रूपये प्रति वर्गफीट होती है और 3 बीघा 5 विश्वा भूमि के पट्टे जारी किये जाने पर ग्राम पंचायत को लाखों रूपयों का राजस्व उक्त भूमि से प्राप्त होता था लेकिन विपक्षी संख्या 02 के साथ मिलीभगत कर नियमों के विपरीत यह पट्टा जारी किया गया है। उक्त परिस्थिति में जारी किये गये उक्त पट्टे न केवल अवैध है तथा नियमों के विपरीत जारी किये गये हैं जो निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने नाम पर उक्त भूमि के भूखण्ड का पट्टा जारी कराने के



उपरान्त उक्त भूमि का अपना हक अधिकार एवं कब्जा आधिपत्य उक्त अवैध पट्टे के आधार पर बताकर उक्त पट्टेशुदा भूमि के आधार पर विक्रय विलेख दिनांक 19.11.2019 को विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में जारी करा 8,88,000/- रुपये प्रतिफल पर उक्त भूमि विक्रय की है। इस प्रकार उक्त भूमि 740 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से विक्रय हुई है। उक्त केता कानूनन आवश्यक पक्षकार है। जो लक्ष्मीदेवी विपक्षी संख्या 02 की फुट स्टेप पर ही है लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के तहत पक्षकार बनाना आवश्यक है इसलिये विपक्षी संख्या 3 को पक्षकार बनाया है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि निगराकार के नाम पर नियमन करने के निर्देश ग्राम पंचायत को जारी किये जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। तथा ग्राम पंचायत भीम से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी जिस क्रम में ग्राम पंचायत भीम ने दिनांक 22.9.2021 को पत्र प्रेषित कर निवेदन किया कि उक्त पट्टे की मूल पट्टा पत्रावली पंचायत में उपलब्ध नहीं है। गैर निगराकार 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल हकीम चुडीघर द्वारा उपस्थिति होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। गैर निगराकार 02 को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त किन्तु विपक्षी संख्या 02 अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री संपत लाल लड्डा ने उपस्थित होकर O7R11 का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसका जवाब अधिवक्ता निगराकार द्वारा नहीं देकर सिधे बहस हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की O7R11 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र O7R11 सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत भीम ने विधिवत कार्यवाही करा भूमि राज्य सरकार से प्राप्त कर उस पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए पट्टे जारी किये हैं। समस्त पट्टे पंचायत ने अपने स्वामित्व की भूमि के जारी किये हैं। अतः निगराकार की निगरानी याचिका सब्यय खारिज फरमाई जावें।

विचाराधीन प्रकरण में तहसीलदार भीम से मौका स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार भीम ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि राजस्व ग्राम भीम का



आराजी नं0 3428/9900 रकबा 0.5261 हेक्टर किस्म आबादी नगर पालिका भीम के नाम दर्ज रिकॉर्ड हैं। विचारधीन प्रकरण से संबंधित भूमि मौके पर खाली (पडत) हैं।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम भीम में स्थित आराजी नम्बर 3428/9990 रकबा 3 बीघा 5 विश्वा भूमि स्थित है, जिसमें से निगराकार 1 बीघा पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है जिसके चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है तथा एक कमरा बना होकर एक पानी का हौद भी बना हुआ है। निगराकार के विरुद्ध व उसके परिवारजन के विरुद्ध तहसीलदार भीम द्वारा धारा 91 की कार्यवाही की गई है तथा उसके पश्चात उक्त भूमि अवैध रूप से ग्राम पंचायत भीम को आबादी हेतु आवंटित कराने हेतु रिपोर्ट कर उप खण्ड अधिकारी भीम से अवैध रूप से आबादी के रूप में आवंटन करवायी गई है तथा उक्त भूमि आबादी होते ही इस पर अवैध रूप से पट्टे जारी किये गये हैं तथा सारे पट्टे नियम 157 के प्रावधानों के तहत जारी कर दिये गये हैं जो प्रारम्भ से ही अवैध व विधि विरुद्ध है। गैर निगराकार 1 द्वारा गैर निगराकार 2 के पक्ष में पट्टा विलेख संख्या 95 दिनांक 20.05.2019 को कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट का जारी किया गया। उक्त पट्टे का पंजीयन उप पंजीयक भीम के यहां पर दिनांक 20.08.2019 को करवाया गया। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत को धारा 102 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली सम्पत्ति जो आबादी विस्तार हेतु प्रदान की जाती है, उक्त सम्पत्ति को ग्राम पंचायत को नियम 157 के तहत पट्टे जारी करने की अधिकारिता नहीं है बल्कि ऐसी सम्पत्ति को तो ग्राम पंचायत को भूखण्ड बनाकर नियम 143 से लगायत 155 के तहत निलामी में विक्रय करने के प्रावधान है जिसकी पालना इस मामले में नहीं की गई। यदि उपरोक्त प्रावधानों के तहत भूखण्ड बनाकर निलाम किये जाते हैं तो ग्राम पंचायत को लाखों रूपयों की आय होती है लेकिन गैर निगराकार 02 के साथ मिलीभगत कर नियमों के विपरीत यह पट्टा जारी किया गया है। उक्त परिस्थिति में जारी किये गये उक्त पट्टे न केवल अवैध है तथा नियमों के विपरीत जारी किये गये हैं जो निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा अपने नाम पर उक्त भूमि के भूखण्ड का पट्टा जारी कराने के उपरान्त उक्त भूमि का अपना हक अधिकार एवं कब्जा आधिपत्य उक्त अवैध पट्टे के आधार पर बताकर उक्त पट्टेशुदा भूमि के आधार पर विक्रय विलेख दिनांक 19.11.2019 को गैर निगराकार संख्या 03 के पक्ष में जारी करा 8,88,000/- रूपये प्रतिफल पर उक्त भूमि विक्रय की है। इस प्रकार उक्त भूमि 740 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से विक्रय हुई है। उक्त क्रेता कानूनन आवश्यक पक्षकार है। जो लक्ष्मीदेवी गैर निगराकार संख्या 02 की फुट स्टेप पर ही है लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के तहत पक्षकार बनाना आवश्यक है इसलिये गैर निगराकार संख्या 03 को पक्षकार बनाया है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा गैर निगराकार 02



Q

के पक्ष में जारी पट्टा विलेख को अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त भूमि निगराकार के नाम पर नियमन करने के निर्देश ग्राम पंचायत को जारी किये जावे।

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 01 ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत भीम ने विधिवत कार्यवाही करा भूमि राज्य सरकार से प्राप्त कर उस पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष में पट्टा जारी किया है। उक्त पट्टा पंचायत ने अपने स्वामित्व की भूमि का जारी किया है। जो विधिसम्मत व नियमानुकूल है। अतः निगराकार की निगरानी याचिका खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 03 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी/निगराकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पंजीकृत पट्टा विलेख के निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत की है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार रजिस्टर्ड पट्टा आप माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः कानूनी रूप से निगरानी याचिका नहीं चल सकने से निरस्त की जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर गहन मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि ग्राम पंचायत भीम द्वारा श्रीमति लक्ष्मी देवी को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टे में पंचायत के संकल्प संख्या 4 दिनांक 20.05.2019 की पालना में उक्त पट्टा जारी करने का उल्लेख है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) में **“जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी कराने के इच्छुक हैं उन्हें निर्धारित शुल्क लेकर पट्टा जारी किया जा सकता है राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.01.2010 व 01.01.2013 के अनुसार आबादी भूमि में पुराने गृहों का पट्टा देने से पूर्व स्थल निरीक्षण किया जाना एवं पुराने गृह का विद्यमान होना आवश्यक है”** ग्राम पंचायत भीम से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गई परन्तु ग्राम पंचायत भीम के पत्र दिनांक 22.9.2021 द्वारा मूल पट्टा पत्रावली उपलब्ध नहीं होना अंकित किया गया। श्रीमति लक्ष्मी देवी के पक्ष में जारी पट्टे संख्या 95 दिनांक 20.05.2019 का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा का राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया। श्रीमति लक्ष्मी देवी द्वारा उक्त पट्टे का दिनांक 20.08.2019 को पंजीयन करवाया गया। उक्त पंजीयन विलेख में मौके पर आवासीय भूखण्ड होने का उल्लेख किया गया।

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पुराने गृह जो कि 30 वर्ष/50 वर्ष पुराने निर्मित होने पर ही पट्टा जारी किया जाता है। जबकि आवासीय भूखण्ड होने पर राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 143 से 155 के मध्य विहित प्रक्रिया यथा कमेटी द्वारा स्थल निरीक्षण, आपत्ति आवाहन, पंचायत की बैठक में विधिवत प्रस्ताव लेकर ही आवासीय पट्टा जारी करने के प्रावधान हैं। प्रश्नगत पट्टे के बाबत ग्राम पंचायत से न्यायालय द्वारा मूल पट्टा



२


पत्रावली तलब किये जाने पर भी कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया तथा यह जानकारी दी गई कि ग्राम पंचायत के कार्यालय के रिकॉर्ड में मूल पट्टा पत्रावली उपलब्ध नहीं हैं।

प्रश्नगत भूखण्ड जिसका पट्टा जारी किया गया। उसको श्रीमति लक्ष्मी देवी द्वारा श्रीमती रेशमा आहुजा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय किया गया। उक्त विक्रय पत्र में राशि 8,88,000/- रुपये पर विक्रय किया गया तथा विक्रय पत्र में उक्त भूखण्ड के विक्रय की बात कही गई है। इन दस्तावेजों से स्पष्ट है कि मौके पर आवासीय गृह निर्मित नहीं होकर खाली भूखण्ड है राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 143 से 155 तक ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के रिक्त भूखण्ड को विक्रय करने बाबत विस्तृत प्रावधान दिये गये हैं उक्त प्रावधानों में विहित प्रक्रिया की पालना करने तथा नियम 152 में नियत बाजार कीमत पर खुली निलामी द्वारा विक्रय किये जाने के प्रावधान हैं। प्रश्नगत भूखण्ड का स्थल निरीक्षण तहसीलदार भीम द्वारा करवाया गया जिसमें भी उक्त भूखण्ड को रिक्त भूखण्ड बताया गया।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 143 से 155 में विहित की गई प्रक्रिया की पालना नहीं की गई। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) की आड में पुराना गृह दर्शा कर रिक्त भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया। जो कि विधि अनुरूप नहीं हैं। अतः ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विधि अनुरूप नहीं होने से खारिज योग्य हैं।


:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भीम द्वारा गैर निगराकार संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 95 दिनांक 20.05.2019 को निरस्त किया जाता है। वर्तमान में ग्राम पंचायत भीम, नगरपालिका भीम में क्रमोन्नत होने से निर्णय की प्रति नगरपालिका भीम को भिजवायी जावे।


(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 18.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद